

Order sheet [Contd]

case No- MJC R-23/2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14-05-18	<p>राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल ए०जी०पी० उपस्थित। अनावेदक थाना प्रभारी मालनपुर स्वयं उपस्थित। थाना प्रभारी मालनपुर की ओर से अपर लोक अभियोजन के माध्यम से लिखित में स्पटीकरण पेश करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण के अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में न्यायालय पेश किया जा चुका है तथा थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अन्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालयीन कार्य में हुये विलम्ब के लिये क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी। आरोपी मुकेश को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः थाना प्रभारी पुलिस थाना मालनपुर का लिखित में जवाब तथा मौखिक निवेदन उचित एवं संतोषप्रद होने से स्वीकृत करते हुये उसके विरुद्ध संचालित एम०जे०सी० प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p> <p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p>	
राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल ए०जी०पी० उपस्थित।	अनावेदक थाना प्रभारी मालनपुर स्वयं उपस्थित।	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>थाना प्रभारी मालनपुर की ओर से अपर लोक अभियोजन के माध्यम से लिखित में स्पष्टीकरण पेश करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण के अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में न्यायालय पेश किया जा चुका है तथा थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अन्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालयीन कार्य में हुये विलम्ब के लिये क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>आरोपी मुकेश को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः थाना प्रभारी पुलिस थाना मालनपुर का लिखित में जवाब तथा मौखिक निवेदन उचित एवं संतोषप्रद होने से स्वीकृत करते हुये उसके विरुद्ध संचालित एम0जे0सी0 प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)